राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: चि.प्र./बायोमेट्रिक/2017/ 370 दिनांक: 3/7/2017

परिपत्र

निदेशालय में कार्यरत समस्त अधिकारीगण, चिकित्सक, समस्त कर्मचारीगण एवं अन्य सभी की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार **स्वास्थ्य भवन** में बायोमेट्रिक मशीन लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। बायोमेट्रिक मशीन के संचालन एवं रख–रखाव के संबंध में निम्नानुसार गाईडलाईन जारी की जाती हैं:–

1. स्वास्थ्य भवन के मुख्य हॉल में 04 बायामेट्रिक मशीन लगाये जाने का निर्णय किया गया। एन.एच.एम. के मुख्य हॉल में 03 बायामेट्रिक मशीन लगाये जाने का निर्णय किया गया। राज0 एड्स कन्ट्रोल सोसायटी में 01 बायामेट्रिक मशीन लगाये जाने का निर्णय किया गया।
2. निदेशालय में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों (मय APO एवं निलम्बित) की उपस्थिति दर्ज करने के लिये Face Reading बायोमेट्रिक मशीन का लगवाया जाना अनिवार्य होगा।
3. निदेशालय में कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रातः एवं सायः दोनो समय ड्यूटी पर आते व जाते समय बायोमेट्रिक मशीन में अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से दर्ज करेंगे एवं पूर्व की भांति उपस्थिति पंजिका में भी हस्ताक्षर कर उपस्थित दर्ज करेंगे।
4. निदेशालय में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी जो कि ट्रेनिंग/मिटिंग/अन्य राजकीय कार्य हेतु अपने मुख्यालय से बाहर जाते हैं तो दूरी व समय को ध्यान में रखते हुए, जहां तक सम्भव हो वे बायोमेट्रिक मशीन में अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से दर्ज कर एवं Movement Register में इन्द्राज कर प्रस्थान करेंगे। यदि यह सम्भव नहीं है तो उस स्थिति में पूर्व संध्या में ही Movement Register में इन्द्राज कर, प्रभारी अधिकारी को सूचित करने के पश्चात ही प्रस्थान करेंगे। सभी अनुभागों में इस हेतु एक Movement Register का संधारण किया जावें।
5. प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी संभवतया समस्त कार्य निर्धारित कार्यालय समय में ही सम्पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे तत्पश्चात ही निदेशालय से प्रस्थान करेंगे। चूकि यह विभाग अत्यधिक आवश्यक सेवाओं से जुडा हुआ है के क्रम में कभी भी आपातकालीन स्थिति उत्पन होने की दशा में अधिकारियों/कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य करने हेतु कार्यालय में रूकना अनिवार्य होगा।
6. प्रत्येक बायोमेट्रिक मशीन का 7 दिवस में बेकअप लेना सुनिश्चित होगा। इस हेतु अलग से कन्ट्रोल रूम बनाया जाना अनिवार्य होगा, जोकि राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के निर्देशानुसार संचालित किया जावेगा।
7. अवकाश से संबंधित इन्द्राज अलग से बनाये गये रजिस्टर में किया जावेगा।
8. बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही वेतन, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन आहरित किया जावेगा।

9. निदेशालय में स्थापित बायोमेट्रिक मशीन के रख रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रभारी अधिकारी (भण्डार) एवं राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी की होगी जो खराब होने की दशा में मरम्मत आदि करवाकर, मशीन को रनिंग कण्डीशन में रखेंगे। बायोमेट्रिक मशीन के चोरी हो जाने की अवस्थां में प्रभारी अधिकारी (भण्डार) तत्काल सम्बधित थाने में एफआईआर दर्ज करवायेंगे। बिजली कटोती के दौरान बायोमेट्रिक मशीन को संचालित करने हेतु इनवर्टर व यूपीएस की व्यवस्था भी करनी होगी। खराब होने की दशा में मरम्मत आदि करवा कर, मशीन को चालू स्थिति में रखेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी भी प्रभारी अधिकारी (भण्डार) की होगी।
10. निदेशालय में स्थापित बायोमेट्रिक मशीनों की सतत निगरानी की जिम्मेदारी प्रभारी अधिकारी, राज्य नियंत्रण कक्ष की होगी।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः चि.प्र/बायोमेट्रिक/2017/ 370
दिनांकः 2/7/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल, राजस्थान।
4. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा./आरसीएच/एड्स) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
6. समस्त अति. निदेशक मुख्यालय।
7. औषधी नियंत्रक (प्रथम/द्वितीय), मुख्यालय।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, मुख्यालय।
9. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रति पृष्ठांकित कर निर्देशित किया जाता हैं कि परिपत्र को सभी संबंधित को ई–मेल द्वारा भिजवाते हुयें। विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. सूचना पट्ट मुख्यालय वास्ते समस्त अधिकारीगण व कर्मचारीगण।
11. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर